भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 339
बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन</u>

*339. श्री कृष्ण प्रसाद टेन्नेटीः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) की शुरुआत के उपरान्त इसके अंतर्गत देश भर में राज्य-वार तथा विशेषतः बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश में जिलावार अब तक कुल कितने घर सम्मिलित किए गए;

(ख) इस महाभियान की शुरुआत के उपरांत राज्य-वार तथा विशेषतः बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश में जिलावार लाभार्थियों द्वारा उत्पादित विद्युत की कुल मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश भर में इस महाभियान के तहत आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का राज्य-वार तथा विशेषतः बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश में जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य में घरों को सम्मिलित किए जाने और विद्युत उत्पादन के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो विशेषतः बापटला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की किसानों की आय के सृजन में सहायता करने के लिए विद्युत कंपनियों (डिस्कॉम) की नेट मीटरिंग के माध्यम से घरों द्वारा उत्पादित अधिशेष विद्युत खरीदने की कोई योजना/प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री
(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

<u>विवरण</u>

'पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 339 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना की शुरुआत मार्च, 2019 में की गई तथा कृषि का सौरीकरण करने के लिए अंतिम बार सितम्बर, 2023 में इसका विस्तार किया गया। आन्ध्र प्रदेश राज्य सहित पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति का विवरण अनुलग्नक-**I** में दिया गया है।

पीएम कुसुम मांग आधारित योजना है तथा संबंधित घटकों में प्राप्त उपलब्धियों और योजना दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एसआईए) को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का भुगतान किया जाता है। पीएम-कुसुम योजना के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक-**II** में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य ने हाल ही में घटक-ग के फीडर स्तर सौरीकरण (एफएलएस) के तहत मांग रखी है। योजना के घटक-क और घटक-ख के तहत राज्य द्वारा कोई मांग नहीं रखी गई है। राज्य से प्राप्त मांग के आधार पर मंत्रालय ने एफएलएस के तहत राज्य को सौरीकरण के लिए 1 लाख पंप आवंटित किए हैं।

(घ) राज्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, राज्य ने पीएम-कुसुम के स्थान पर पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के तहत 10 लाख घरों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) के तहत, राज्य द्वारा बापटला पीसी के 25,000 परिवारों को शामिल करने की योजना बनाई गई है।

(ङ) पीएम-कुसुम योजना के घटक-क के अंतर्गत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसान अपनी भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता तक सौर अथवा अक्षय ऊर्जा विद्युत संयंत्र लगा सकते हैं और उत्पादित विद्युत डिस्कॉम को बेच सकते हैं। इस घटक के तहत, दिनांक 13.12.2024 की स्थिति के अनुसार, राज्यों को उनकी मांग के अनुरूप 9961.50 मेगावाट आवंटित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, राज्य के अनुसार, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में सकल/नेट मीटरिंग के अंतर्गत ग्रिड इंटरएक्टिव सौर रूफटॉप पीवी प्रणाली के लिए फीड-इन टैरिफ 2.09 रुपए प्रति यूनिट (25 वर्ष के लिए) है।

अनुलग्नक-I

'पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 339 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

पीएम-कुसुम योजना के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रगति (दिनांक 13.12.2024 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	घटक-क (मेगावाट)		घटक-ख (संख्या)		घटक-ग (संख्या)		
		स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत	स्थापित	स्वीकृत (आईपीएस)	स्वीकृत (एफएलएस)	स्थापित (कुल)
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	100000	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	700	394	0	0	0
3	असम	10	0	4000	0	1000	0	0
4	छत्तीसगढ़	30	4	10000	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	0	0	0	70000	0
6	गुजरात	500	0	12382	7705	0	725000	30158
7	गोवा	150	0	900	80	0	11000	700
8	हरियाणा	85	6.65	197655	137594	0	12899	0
9	हिमाचल प्रदेश	100	25.95	1270	685	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	20	0	5000	1937	4000	0	0
11	झारखंड	20	0	42985	23999	1000	0	0
12	कर्नाटक	0	0	41360	1674	0	766588	1713
13	केरल	1.5	0	8	8	45100	25387	7402
14	लद्दाख	0	0	1400	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	1490	39.63	59400	7325	0	445000	7417
16	महाराष्ट्र	700	6	505000	222933	0	775000	31428
17	मणिपुर	0	0	150	78	0	0	0
18	मेघालय	0	0	3035	96	0	0	0
19	मिजोरम	0	0	1700	40	0	0	0
20	नागालैंड	5	0	265	65	0	0	0
21	ओडिशा	500	0	16441	5478	25000	10000	0
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	0
23	पंजाब	220	0	33000	12952	186	95000	0
24	राजस्थान	1550	244	162914	89245	6418	400000	5476
25	तमिलनाडु	424	1	5200	3909	5000	6000	0
26	तेलंगाना	4000	0	0	0	28000	0	0
27	त्रिपुरा	5	0	10895	3537	2600	0	50
28	उत्तर प्रदेश	151	0	110948	54117	12000	94000	2000
29	उत्तराखंड	0	0	5685	473	200	0	0
30	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	700	0	20
31	अंडमान और निकोबार	0	0	34	0	436	0	0
	कुल	9961.50	327.23	1232327	574324	131640	3535874	86364

अनुलग्नक-**II**

'पीएम-कुसुम का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 18.12.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 339 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-**II**

पीएम-कुसुम योजना के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण
(दिनांक 30.11.2024 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी धनराशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	2.94
4	असम	0.00
5	बिहार	0.00
6	छत्तीसगढ़	0.00
7	गोवा	0.43
8	गुजरात	45.65
9	हरियाणा	978.57
10	हिमाचल प्रदेश	11.78
11	जम्मू और कश्मीर	15.69
12	झारखंड	88.07
13	कर्नाटक	84.89
14	केरल	28.60
15	लद्दाख	0.00
16	मध्य प्रदेश	71.87
17	महाराष्ट्र	1723.72
18	मणिपुर	0.76
19	मेघालय	0.59
20	मिजोरम	2.57
21	नागालैंड	0.54
22	ओडिशा	8.46
23	पुडुचेरी	0.00
24	पंजाब	81.59
25	राजस्थान	851.58
26	तमिलनाडु	37.48
27	तेलंगाना	0.00
28	त्रिपुरा	29.25
29	उत्तर प्रदेश	295.16
30	उत्तराखंड	28.08
31	पश्चिम बंगाल	0.00
कुल		4388.20

*****